



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005

ई-मेल: indrajfo14@rajasthan.gov.in, फ़ैक्स नं.: 0141-2227516 / 5106748

फोन नं. 0141-2227727-34, 2227630-34, 2227823-34 (पी.बी.एक्स)

क्रमांक :- एफ 9/3(1)/आ.उ./मार्क/2014/पार्ट.111

दिनांक 18-1-2018

कार्यालय-आदेश

राजसिको द्वारा राज्य सरकार के समस्त विभागो, उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी सस्थाओं में बिना निविदा के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-2 के नियम 10 के एनेक्सचर की व्यवस्थानुसार उद्योग (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.11.2003 एवं 04.04.2013 द्वारा गठित समिति की सिफारिश एवं राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त निम्न आईटमों की दरें निर्धारित की जाती है।

क्र.सं.	आईटम	कन्वर्जन चार्ज की अनुमोदित दर
1	पॉलिथीन बैग्स:- निविदा की शर्तों के अनुसार कच्चे माल की दर एल.डी. पी.ई. ग्रैन्यूल्स रिलायन्स इण्डिया लिमिटेड, अहमदाबाद की दरों के आधार पर परिवर्तनीय है, अतः केवल कन्वर्जन चार्ज ही निर्धारित किया जाता है।	रुपये 16,900/- प्रति मै.टन एवं जी.एस.टी. नियमानुसार पृथक से देय होगा।
2	कांटेदार तार:- निविदा की शर्तों के अनुसार कच्चे माल एम.एस. वायर रॉड 8 एम. एम. ग्रेड आई.एस. 7887 की दर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जयपुर की दरों के आधार पर परिवर्तनीय है, अतः केवल कन्वर्जन चार्ज ही निर्धारित किया जाता है।	(अ) अनगैल्वेनाइज्ड कांटेदार तार :- रुपये 15,966/- प्रति मै.टन एवं जी.एस.टी. नियमानुसार पृथक से देय होगा। (ब) गैल्वेनाइज्ड कांटेदार तार :- रुपये 24,534/- प्रति मै.टन एवं जी.एस.टी. नियमानुसार पृथक से देय होगा।

उक्त दरें तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती है एवं एक वर्ष अर्थात् दिनांक 30.9.2018 तक या दर निर्धारण समिति द्वारा दरों का पुनः निर्धारण करने तक जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावी होगी। अन्य शर्तें निविदा की शर्तों एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियम के प्रावधान अनुसार लागू रहेंगी।

(पी. के. जैन)

अतिरिक्त निदेशक, उद्योग

दिनांक 18-1-2018

क्रमांक एफ 9 /3(1)/आ.उ./मार्क/2014/पार्ट.111

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्ध निदेशक, राजसिको, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, उद्योग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर।
4. निदेशक एम.एस.एम.ई.विकास संस्थान, 22 गोदाम, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, उद्योग।
6. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग।
7. निजी सहायक, आयुक्त उद्योग।

(एस. एल. पालीवाल)
उप निदेशक, उद्योग